प्ररूप–2

ग्रामः फोनः
ई–मेल– फैक्सः

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्याकः एच0सी0–मान्यता/ 584 /2013–14 तारीखः 17 जुलाई 2013

प्रबन्धक,

स्प्रिंग डैल्स पब्लिक स्कूल,
जी0टी0 रोड़ मन्सूरपुर,
बोपाडा वि0ख0 खतौली, मुजफ्फरनगर।

विषयः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 15.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29. 06.213 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में श्री रणजीत सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांकः /जॉच/एम0डी0एम0–215/2013–14 दिनांक 15.07.2013 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर **स्प्रिंग डैल्स पब्लिक स्कूल, बोपाडा, वि0ख0 खतौली, मुजफ्फरनगर** को तारीख 29.06.2013 से तारीख 28.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राईमरी से जूनियर हाई स्कूल तक की **(अंग्रेजी माध्यम)** कक्षाओं के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001(उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–हीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और

वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यो का पालन करता है, और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	4183 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्रफल	694 वर्गमी0
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	3489 वर्गमी0
कक्षाओं की संख्या	10
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	—

बाधारहित पहुंच

है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय

की उपलब्धता

है।

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक M–11/2013 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है,जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17–संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

K.K.Singh

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।